



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरनिर्णय सुरक्षित करने का दिनांक: 01-08-2023निर्णय पारित करने का दिनांक: 08-08-2023दण्डिक अपील क्रमांक 1073/2022

कमलेश नेताम आत्मज दानसाई नेताम, आयु 23 वर्ष, ग्राम- बोरगांव, नवापारा, पुलिस थाना
फरसगांव, जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़

--- अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, थाना फरसगांव, जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

दण्डिक अपील क्रमांक 1626/2022

सोनाराम नेताम आत्मज कुर्जू नेताम, आयु लगभग 28 वर्ष ग्राम नालाघर, थाना फरसगांव, जिला
कोंडागांव छत्तीसगढ़।

----- अपीलार्थी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना प्रभारी, थाना फरसगांव, जिला: कोंडागांव, छत्तीसगढ़

----- उत्तरवादी

दण्डिक अपील क्रमांक 1073/2022 में अपीलार्थी की ओर से: श्री मुकेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता
दण्डिक अपील क्रमांक 1626/2022 में अपीलार्थी की ओर से: श्री रजा अली, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य की ओर से: श्री गगन तिवारी, उपशासकीय अधिवक्ता

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा, एवंमाननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे,सी.ए.वी. निर्णयमुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा के अनुसार

1. चूंकि उपरोक्त शीर्षक वाली अपीलें एक समान तथ्यात्मक मैट्रिक्स और आक्षेपित निर्णय से प्रोद्भूत हैं,
इसलिए यह न्यायालय एक समान निर्णय द्वारा इसका निराकरण कर रहा है।



2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन की जाने वाली ये दान्डिक अपीलें दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश दिनांक 25.06.2022 के खिलाफ निर्देशित हैं। जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ. टी. एस. सी. (पाक्सो), कोंडागांव (छ.ग.) द्वारा पाक्सो प्रकरण क्रमांक 20/2019 में पारित दण्ड, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को भा.द.वि. की धारा 363, 376 क और 302 के अधीन अपराधों के लिए सिद्धदोष किया गया है और उन्हें 07 वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपये का अर्धदण्ड, अर्धदण्ड संदाय के व्यतिक्रम की दशा पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास और आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का अर्धदण्ड, अर्धदण्ड संदाय के व्यतिक्रम की दशा पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित किया है।

3. अभियोजन पक्ष का प्रकरण संक्षेप में यह है कि मृतका के पिता ने पुलिस थाना, फरसगांव में इस आशय की शिकायत की है कि उसकी पुत्री अपने मोबाइल फोन में बात करते हुए घर से बाहर चली गई और घर वापस नहीं लौटी और अगले दिन परिवार के सदस्यों ने उसको तलाश किया और उसका शव एक चैन सिंह के खेत में पड़ा पाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर, शुरु में मर्ग नंबर 28/2019 (प्र.पी.-1) को द.प्र.सं. की धारा 174 के अधीन दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् मर्ग सूचना (प्र.पी.-1) के आधार पर, अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्र.पी.-28) दर्ज की गई है।

4. विवेचना अधिकारी घटना स्थल के लिए खाना हो गए और उनके द्वारा प्र.पी.-2 द्वारा नज़री नक्शा तैयार किया गया। साक्षियों को प्र.पी.-3 द्वारा बुलाने के बाद, मृतका के शव की मृत्यु समीक्षा प्र.पी.-4 द्वारा तैयार की गई थी और प्र.पी.-13 द्वारा मर्ग पंचनामा तैयार किया गया था। मृतका के शव को शवपरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फरसगांव प्र.पी.-26 द्वारा भेज दिया गया। जिसमें डॉ. ज्योतिर्मय प्रभावती (अ.सा.-7) और डॉ. शैलेंद्र कुमार ने मृतका के शव का शवपरीक्षण प्र.पी.-14 द्वारा किया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं:-

(i) स्टेनोक्लिडोमास्टॉइड मांसपेशी क्षेत्र में गर्दन के दाईं ओर 0.8 सेमी x 0.2 सेमी अर्धचंद्र घर्षण का निशान जो प्रकृति में एंटीमॉर्टम है;

(ii) चींटी के काटने के निशान दाहिने गाल, गर्दन और बाएं कंधे और छाती के बीच में हैं जो मृत्यु पश्चात् के हैं।

डॉक्टरों ने राय दी कि मृत्यु का कारण दम घुटने और हाथ से गला घोटने के कारण दम घुटना और रीढ़ की हड्डी में चोट है। विसरा को संरक्षित किया गया और एफ. एस. एल. को भेजा गया ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई भी विष जो प्रकृति में जानलेवा है।

5. साक्षी शिव कुमार मरकाम (अ.सा.-5) का कथन प्र.पी.-5 द्वारा दर्ज किया गया था, जिसने कहा है कि उसने अपीलार्थीओं को मृतका को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाते देखा है। अन्वेषण के



दौरान, साइबर सेल द्वारा अभियुक्त कमलेश नेताम के फोन नंबर का स्थान प्राप्त करने के पश्चात जिसने मृतका के मोबाइल फोन पर घटना की तारीख पर कॉल किया था और उस आधार पर अभियुक्त कमलेश नेताम को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उसका मेमोरेंडम कथन प्र.पी.-6 द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने और सह-अभियुक्त/अपीलार्थी सोनाराम नेताम ने मृतका को फोन किया और उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर तिथि। तत्पश्चात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्र.पी.-11 और पी -12 द्वारा गिरफ्तारी मेमो तैयार किए गए। अभियुक्त कमलेश नेताम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर भा.द.वि. की धारा 363, 376, 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04, 06 को जोड़ा गया है।-

6. अभियुक्त सोनाराम नेताम के निशानदेही पर जियो सिम नंबर 7000702320 के साथ एक जियो मोबाइल फोन, आइडिया सिम नंबर 7354182741 के साथ एक टच स्क्रीन मोबाइल और दायीं बाजू पर कुछ दाग के साथ एक पूरी बांह वाली नीली रंग की टी-शर्ट अभियुक्त कमलेश नेताम के निशानदेही पर जब्त की गई। अभियुक्त कमलेश नेताम के मेमोरेंडम कथन के आधार पर एक काले रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसमें नं. CG 04-OW-5214 चाबी के साथ और चालू स्थिति में एक सुनील नेताम से प्र.पी.-9 द्वारा जब्त किया गया और एक सफेद रंग का दुपट्टा और एक जोड़ी सैडल प्र.पी.-10 द्वारा जब्त किया गया। अभियुक्त कमलेश नेताम को गिरफ्तार किया गया और प्र.पी.-11 द्वारा गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया और अभियुक्त सोनाराम नेताम को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी मेमो प्र.पी.-12 द्वारा तैयार किया गया। अभियुक्त कमलेश नेताम की जब्त की गई टी-शर्ट का क्वेरी के लिए मेमो और उसकी क्वेरी रिपोर्ट मृतका के जब्त किए गए दुपट्टे की क्वेरी के लिए और इसकी क्वेरी रिपोर्ट द्वारा तैयार की गई थी। आइडिया कंपनी नंबर 9575481520 के सिम के साथ एक काले रंग का कीपैड माइक्रोमैक्स मोबाइल, खून से सनी मिट्टी और सादे मिट्टी को घटनास्थल से बरामद किया गया। दाखिल खरीज रजिस्टर को प्र.पी.-33 द्वारा जब्त किया गया और प्र.पी.-34 द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं को जब्त किया गया:

- (i) सीलबंद बोतल में मृतका का 02 योनि स्वैब;
- (ii) सीलबंद बोतल में मृतका का 02 योनि स्लाइड;
- (iii) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक गुलाबी रंग का कुर्ता;
- (iv) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक हरे रंग का लेगिंग्स;
- (v) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक भूरे रंग का अंडरवियर;
- (vii) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक नारंगी रंग का सिमिज;
- (vii) सीलबंद डिब्बे में मृतका का पूरा पेट उसके अवयवों के साथ।



(viii) मृतका के फेफड़े, यकृत, हृदय, गुर्दे और प्लीहा का एक टुकड़ा सील किए गए डिब्बे में;

(ix) मृतका के मस्तिष्क का एक टुकड़ा एक सीलबंद डिब्बे में और (x) एक सीलबंद डिब्बे में एन. एस. घोल का नमूना।

7. घटना स्थल से जब्त की गई खून से सना मिट्टी और अभियुक्त के खून जैसे दाग वाली टी-शर्ट को क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जगदलपुर में रासायनिक परीक्षण के लिए प्र.पी. 38 द्वारा भेजा गया था, जिसे प्र.पी. 41 द्वारा प्राप्त किया गया था और मृतका के पूरे पेट के साथ एक सीलबंद डिब्बे में मृतका की सामग्री; सीलबंद डिब्बे में मृतका के फेफड़े, यकृत, हृदय, गुर्दे और प्लीहा का टुकड़ा; सीलबंद डिब्बे में मृतका के मस्तिष्क का टुकड़ा और सीलबंद डिब्बे में एनएस घोल का नमूना भी रासायनिक जांच के लिए क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जगदलपुर प्र.पी.-39 द्वारा भेजा गया था। जिसे प्र.पी.-42 द्वारा प्राप्त किया गया था और वहां से, एफएसएल रिपोर्ट क्रमशः प्र.पी.-45 और प्र.पी.-46 द्वारा प्राप्त की गई थी।

8. डीएनए परीक्षण के लिए अभियुक्त के रक्त के नमूने लेने के लिए मेमो प्र.पी.-37 द्वारा जारी किया गया था और तत्पश्चात डॉ. प्रणति (अ.सा.-9) द्वारा प्रत्येक अभियुक्त के 02-02 एमएल रक्त के नमूने लिए गए और दो अलग-अलग ईडीटीए वोइल में प्र.पी.-17 द्वारा संरक्षित किए गए। तत्पश्चात निम्नलिखित वस्तुओं को डी. एन. ए. परीक्षण करने के लिए राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया:-

(i) सीलबंद बोतल में मृतका का 02 योनि स्वैब;

(ii) सीलबंद बोतल में मृतका का 02 योनि स्लाइड;

(iii) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक गुलाबी रंग का कुर्ता;

(iv) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक हरे रंग का लैगिंग;

(v) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक भूरे रंग का अंडरवियर;

(vi) सीलबंद पैकेट में मृतका का एक नारंगी रंग का सिमिज;

(vii) सीलबंद पैकेट ईडीटीए वॉयल में अभियुक्त कमलेश नेताम का 02 मिली रक्त का नमूना; और

(viii) सीलबंद पैकेट ईडीटीए वॉइल में अभियुक्त सोनाराम नेताम का 02 मिली रक्त का नमूना

उपरोक्त वस्तु राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर द्वारा प्र.पी.-43 द्वारा प्राप्त किए गए थे और डीएनए परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.-44 द्वारा दी गई है।



9. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन दर्ज किए गए थे। सामान्य अन्वेषण पश्चात अभियुक्तों/अपीलार्थीगण पर भा.द.वि. की धारा 363, 376 क, 376 डी, 302 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन अपराध के लिए अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया और अभियोग पत्र क्रमांक 48/2019 दिनांक 07.08.2019 को अधिकारिता दाण्डिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और प्रकरण सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया, जहाँ से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ. टी. एस. सी. (पॉक्सो) कोंडागांव ने विधि के अनुसार सुनवाई और निराकरण के लिए स्थानांतरण पर प्रकरण प्राप्त किया।

10. अभियुक्त/अपीलार्थी के अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 साक्षियों का परीक्षण कराया है और 48 दस्तावेजों का प्रदर्शन किया है। अभियुक्तों/अपीलार्थीगण के कथन संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और अपराध में निर्दोष होना और प्रश्नगत अपराध में झूठे फसाए जाने का अभिवाक किया। बचाव पक्ष ने किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है, तथापि दो दस्तावेजों अर्थात् प्र.डी.-1 और प्र.डी.-2 का प्रदर्शन किया है।

11. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विवेचना करने पर और यह मानते हुए कि यह अपीलार्थी हैं जिन्होंने उपरोक्त अपराध किया है, उन्हें उपरोक्त तरीके से, सिद्धदोष एवं दण्डित किया। जिसके खिलाफ अपीलार्थीओं द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन ये दो अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और उनके द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों को भी अत्यंत सावधानी एवं ध्यानपूर्वक परिशीलन किया है।

13. अपीलार्थी कमलेश नेताम के अधिवक्ता श्री मुकेश श्रीवास्तव का तर्क है कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है और अभियोजन पक्ष के सभी साक्षियों ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं करता है और वे पक्षद्रोही हो गए हैं और अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूरी तरह से डीएनए रिपोर्ट पर आधारित है, जो युक्तियुक्त तरीके से नहीं की गई थी। वह कथन करते हैं कि डॉ. प्रणति (अ.सा.-9) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि साक्षियों की उपस्थिति में मेरे सामने 21.06.2019 को अभियुक्त कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम का 02-02 मिली रक्त लिया गया और प्र.पी. /17 द्वारा अलग-अलग डी.टी.ए. में संरक्षित किया गया था। तथा उन नमूनों को रक्त तकनीशियन द्वारा लिया गया था, वही प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कथन किया के यद्यपि रक्त के नमूने तकनीशियन द्वारा लिये गये थे परंतु वह तकनीशियन का नाम नहीं जानती। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना सही है कि प्र.पी.-17 में उल्लिखित साक्षियों को पुलिस द्वारा लाया गया था और अभियुक्त कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम के हस्ताक्षर प्र.पी.-17 में गायब हैं। यह कहना सही है कि प्र.पी.-17 की लिपि उनके द्वारा तैयार नहीं



की गई थी और इसे पुलिसकर्मियों द्वारा पहले से तैयार और लाया गया था, इस प्रकार, रक्त का नमूना एकत्र करते समय अनियमितताएं की गई हैं। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त की ओर से धारा 313 के अधीन परीक्षण के दौरान व डीएनए नमूना संग्रहण के बारे में कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। इस प्रकार, पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की जांच त्रुटिपूर्ण है। उन्होंने (2009) 6 एस. सी. सी. 595 में प्रकाशित रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 8, 9 और 10 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“8. हालाँकि अपील के संबंध में विभिन्न बिंदुओं का आग्रह किया गया था, लेकिन प्राथमिक दृष्टिकोण यह था कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में "संहिता") की धारा 313 के अधीन उनके समक्ष आपत्तिजनक सामग्री नहीं रखी गई थी। दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त एक हिस्ट्रीशीटर है, उसका लंबा दाण्डिक अभिलेख है और इसलिए इस अपील में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। उनके अनुसार सभी सुसंगत प्रश्नों को संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा के दौरान रखा गया था।

9. “12. संहिता की धारा 313 का उद्देश्य इसके शुरुआती शब्दों में निर्धारित किया गया है-‘अभियुक्त को मामले में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से। उसके खिलाफ सबूत। ‘हेट सिंह में, भगत सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 468) ने न्यायमूर्ति बोस द्वारा यह निर्धारित किया है कि संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्त व्यक्तियों के कथन 'विचारण में विचार किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से हैं'। यह इंगित किया गया था कि:

‘8.... .दोषी मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए अभियुक्त के बयानों का उद्देश्य भारत में इंग्लैंड और अमेरिका में उनकी जगह लेना है। कटघरे में अपने तरीके से यह बताने के लिए स्वतंत्र होगा कि उन्हें साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जाना चाहिए और साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए और विचारण में विधिवत विचार किया जाना चाहिए। संहिता में धारा 315 को शामिल करने के पश्चात भी यह स्थिति अपरिवर्तित रहती है और धारा 313 के अधीन किसी भी कथन पर उसी तरह से विचार किया जाना चाहिए जैसे कि धारा 315 नहीं है।

13. इस धारा के अधीन जाँच का उद्देश्य अभियुक्त को उसके खिलाफ किए गए प्रकरण की व्याख्या करने का अवसर देना है। इस कथन को उसकी बेगुनाही या अपराध का न्याय करने में ध्यान में रखा





जा सकता है। जहाँ अभियुक्त पर आरोपमुक्त करने की जिम्मेदारी है, यह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है यदि ऐसा कथन दायित्व निर्वहन करता है।

14. उप-धारा (1) (ख) में 'आम तौर पर' शब्द पूछताछ की प्रकृति को प्रकरण से संबंधित सामान्य प्रकृति के एक या अधिक प्रश्नों तक सीमित नहीं करता है, लेकिन इसका अर्थ है कि प्रश्न आम तौर पर पूरे प्रकरण से संबंधित होना चाहिए और इसके किसी विशेष भाग या भाग तक भी सीमित होना चाहिए। प्रश्न को इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए ताकि अभियुक्त को यह पता चल सके कि उसे क्या समझाना है, कौन सी परिस्थितियाँ उसके खिलाफ हैं और जिसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इस धारा का पूरा उद्देश्य अभियुक्त को उन परिस्थितियों को समझाने का एक उचित और युक्तियुक्त अवसर प्रदान करना है जो उसके खिलाफ दिखाई देती हैं और यह कि प्रश्न निष्पक्ष होने चाहिए और ऐसे रूप में रखे जाने चाहिए जो एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति को समझने और समझने में सक्षम हो। जिस बात की व्याख्या करने के लिए उसे कभी नहीं कहा गया था, उसे समझाने में अभियुक्त की विफलता के आधार पर दोषसिद्धि विधिक रूप से गलत है। संहिता की धारा 313 को लागू करने का पूरा उद्देश्य यह था कि अभियुक्त का ध्यान विशिष्ट 10 की ओर खींचा जाना चाहिए। आरोप और साक्ष्य में इंगित करता है जिसके आधार पर अभियोजन पक्ष दावा करता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रकरण बनाया गया है ताकि वह ऐसा स्पष्टीकरण दे सके जो वह देना चाहता है।

15. संहिता की धारा 313 के प्रावधानों का ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से पालन करने के महत्व पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है।

'30.....तथ्यों की एक लंबी श्रृंखला को एक साथ जोड़ना और अभियुक्त से पूछना कि उसका उनके बारे में क्या कहना है, यह पर्याप्त अनुपालन नहीं है। उसके खिलाफ उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक आवश्यक तथ्य के बारे में उससे अलग से पूछताछ की जानी चाहिए। प्रश्न निष्पक्ष होना चाहिए और ऐसे रूप में होना चाहिए जिसकी एक अज्ञानी या अनपढ़ व्यक्ति विवेचना और समझ सके। यहां तक कि जब कोई अभियुक्त अनपढ़ नहीं होता है, तब भी जब वह हत्या के आरोप का सामना कर रहा होता है तो उसका दिमाग परेशान होने के लिए तैयार होता है।... इसलिए निष्पक्षता की आवश्यकता है कि प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को सरल और अलग तरीके से इस तरह से रखा जाना चाहिए कि एक अनपढ़ मन, या जो परेशान या भ्रमित है, वह आसानी से मान और समझ सके।

10. संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा के दौरान सुसंगत प्रश्न नहीं रखने से संबंधित दृष्टिकोण की विवेचना करने के लिए, तथ्यात्मक परिदृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा इस प्रकार है:

"प्र. साक्षियों के कथन के आधार पर कहा गया है कि सिरजुआ दियारा में सुबह लगभग 8:30 बजे रामेश्वर मिस्त्री को राइफल से गोली मारकर मार दिया गया था। आपको इसके बारे में क्या कहना है?



उ. नहीं, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया था।

प्र. यह भी कहा गया है कि अभियुक्तों ने रामेश्वर मिस्त्री, राजेंद्र मिस्त्री और ब्रह्मदेव सिंह के शव को नाव पर रखा और वे ललित नारायण सिंह कैलाश सिंह, चालितर सिंह, अनिल साहिब और बिरांची दास को नाव पर ले गए और आगे बढ़कर कैलाश सिंह की हत्या कर दी और शव को काटकर नदी में फेंक दिया।

उ. पुलिस ने मुझे फंसाया है। खगड़िया के एस. पी. सफी आलम ने 15 अप्रैल, 1980 की शाम को गोली मारकर हत्या कर दी। मेरे नौकर ने उस पर प्रकरण दर्ज कराया है। मेरे चाचा ने उस दिन से पुलिस एस. डी. ओ. पर मामला दर्ज कराया, उन्होंने मुझे प्रकरण में फंसाना शुरू कर दिया और मुझे मामला वापस लेने के लिए कहने लगे। जो पुलिस आती है, वही बात बताती है। मुझे उस समय पढ़ाई करने की अनुमति नहीं थी। मैं पढ़ाई कर रहा था। इसी वजह से मुझे गलत तरीके से फंसाया गया।

प्र. मैंने साक्षियों का कथन सुना। क्या आपको बचाव में कुछ कहना है?

उ. मैं इसे बाद में लिखूंगा।

प्र. यह भी स्पष्ट है कि आपने अमीन की बांह पर राइफल से गोली चलाई थी।

यह सच है क्योंकि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया है कि संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के सामने कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं रखी गई थी। जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, परीक्षा के दौरान विशेष रूप से कोई आरोप नहीं लगाया गया है। यह केवल अपहरण के शिकार को संदर्भित करता है। जहाँ तक प्रश्न क्रमांक 3 का संबंध है, वही अ.सा.-10 से संबंधित है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा चलाई गई बंदूक देखी थी।"

14. अपीलार्थी सोनाराम नेताम के विद्वान अधिवक्ता श्री रजा अली ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय केवल डी. एन. ए. रिपोर्ट अर्थात् प्र.पी.-44 के आधार पर है। वह कथन करते हैं कि दोषसिद्धि केवल डीएनए रिपोर्ट पर आधारित नहीं हो सकती है। अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर मृतका की योनि स्लाइड का नमूना लिया है, जिसका पूरे अभियोग पत्र और विचारण न्यायालय के दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं है और उसके बाद 21.06.2019 पर अभियुक्त/अपीलार्थी का नमूना लिया गया है, अंतराल एक महीने से अधिक है और उसे मेमो प्र.पी.-40 द्वारा डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया है और उसके बाद डीएनए रिपोर्ट को 30.07.2019 दिनांकित पत्र द्वारा प्र.पी.-44 के रूप में चिह्नित किया गया था। जिस तकनीक का उपयोग किया गया है वह तारों के मिलान के लिए है और 24 में से 8 का मुख्य अभियुक्त कमलेश नेताम के साथ मिलान किया गया और 7 का अभियुक्त सोनाराम नेताम के साथ मिलान किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नमूने देर से एकत्र किए गए हैं और



यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि किस तिथि और किस दस्तावेज द्वारा अभियोजन पक्ष ने मृतका की योनि स्लाइड का नमूना एकत्र किया, जैसा कि पूरी पीएम रिपोर्ट में और मृत शरीर पंचनामा सहित प्रश्नों में मृतका की योनि स्लाइड के संग्रह के बारे में कहीं भी उल्लेख नहीं है और पीएम रिपोर्ट में मृत शरीर से एकत्र किए गए चार नमूनों में योनि स्लाइड या योनि स्वेब का कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा अभियुक्त से नमूने एकत्र करने में देरी और वह भी बिना किसी स्पष्टीकरण के कि उक्त नमूने कहाँ एकत्र किए गए थे, डीएनए रिपोर्ट को आक्षेपित और संदिग्ध बनाता है। वह आगे तर्क करते हैं कि डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है

कार्यप्रणाली और सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ-साथ डी. एन. ए. साक्ष्य का संग्रह और संरक्षण, लेकिन वर्तमान प्रकरण में, यह गायब था। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **रवि कुमार; विनोद @ राहुल चतू बनाम दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और अन्न; राज्य दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, (2023) 1 एस. सी. सी. 83** में प्रतिवेदित में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया है। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:-

“डीएनए प्रोफाइलिंग कार्यप्रणाली

डीएनए प्रोफाइल शरीर के तरल पदार्थ, दाग और साक्ष्य से बरामद अन्य जैविक नमूने से उत्पन्न होता है और परिणामों की तुलना संदर्भ नमूनों से प्राप्त परिणामों से की जाती है। इस प्रकार, पीड़ितों और/या संदिग्धों के बीच एक दूसरे के साथ या अपराध स्थल के साथ एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग डी. एन. ए. के कुछ अत्यधिक परिवर्तनशील क्षेत्रों के विश्लेषण की एक जटिल प्रक्रिया है। डी. एन. ए. के परिवर्तनशील क्षेत्रों को आनुवंशिक मार्कर कहा जाता है। न्यायालयिक उद्देश्यों के लिए पसंद के वर्तमान आनुवंशिक मार्कर शॉर्ट टैंडम रिपीट्स (एसटीआर) हैं। स्वचालित डी. एन. ए. अनुक्रमक को नियोजित करने वाले 15 एस. टी. आर. के एक समूह का विश्लेषण एक व्यक्ति के लिए अद्वितीय डी. एन. ए. प्रोफाइल देता है (मोनोजाइगोटिक जुड़वां को छोड़कर)। इसी तरह, वाई गुणसूत्र (वाई-एसटीआर) पर मौजूद एसटीआर का उपयोग यौन हमले के मामलों या पैतृक वंश का निर्धारण करने में भी किया जा सकता है। यौन हमलों के मामलों में, वाई-एसटीआर महिला भाग के उच्च स्तर की उपस्थिति में या एजू 11 पर्मिक या नसबंदी वाले पुरुष के प्रकरण में भी पुरुष प्रोफाइल का पता लगाने में सहायक होते हैं। जिन मामलों में डी. एन. ए. पर्यावरणीय तनाव और जैव रासायनिक क्षरण से गुजरा था, उनमें न्यूनतम एल. एस. टी. आर. का उपयोग नियमित एस. टी. आर. के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है। डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है और प्रत्येक प्रोफाइल बनाने में शामिल क्रमिक चरण प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। तथापि विश्लेषण के सिद्धांत समान हैं, जिनमें शामिल हैं:



1. डी. एन. ए. का पृथक्करण, शुद्धिकरण और मात्रात्मककरण 2. चयनित आनुवंशिक मार्करों का प्रवर्धन 3. टुकड़ों की कल्पना और जीनोटाइपिंग 4. सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या।

एम. टी. डी. एन. ए. विश्लेषण में, नियंत्रण नमूनों के साथ परिणामों की अनुक्रमण और तुलना करके अतिपरिवर्तनीय क्षेत्र । और ॥ (एच. वी. आर. । और ॥) में भिन्नताओं का पता लगाया जाता है:... ..

सांख्यिकीय विश्लेषण

असामान्य डी. एन. ए. प्रकरण में साक्ष्य के नमूनों की तुलना शामिल है, जैसे कि बलात्कार से वीर्य, और ज्ञात या संदर्भ नमूने, जैसे कि एक संदिग्ध से रक्त का नमूना। आम तौर पर, प्रोफाइल तुलना के तीन संभावित परिणाम होते हैं:

- 1) मैच: यदि दोनों नमूनों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल अप्रभेद्य हैं, तो कहा जाता है कि वे मेल खाते हैं।
- 2) बहिष्करण: यदि प्रोफाइल की तुलना अंतर दिखाती है, तो इसे केवल पृथक् स्रोतों से उत्पन्न होने वाले दो नमूनों द्वारा समझाया जा सकता है।
- 3) अनिर्णायक: डेटा एक निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है तीन संभावित परिणामों में से, केवल नमूनों के बीच "मिलान" को सांख्यिकीय गणना द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता है। आंकड़े मैच को अर्थ प्रदान करने का प्रयास करते हैं। मिलान आंकड़े आमतौर पर यादृच्छिक मिलान संभावना (आर. एम. पी.) या दूसरे शब्दों में, आबादी में विशेष डी. एन. ए. प्रोफाइल की आवृत्ति के अनुमान के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

पितृत्व/प्रसूति परीक्षण के प्रकरण में, दो से अधिक स्थानों पर बहिष्करण को बहिष्करण माना जाता है। मैच की रिपोर्ट करते समय 1 या 2 लोकी संभावित उत्पत्तिवर्तन की छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए। मैच का समर्थन करने के लिए पितृत्व सूचकांक और संभावना अनुपात की गणना आगे की जाती है।

साक्ष्यों का संग्रह और संरक्षण

यदि डी. एन. ए. साक्ष्य को ठीक से प्रलेखित, एकत्र, पैक और संरक्षित नहीं किया जाता है, तो यह न्यायालय के समक्ष विधिक स्वीकार्यता के लिए विधिक और वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा। क्योंकि डी. एन. ए. के बहुत छोटे नमूनों का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, संदूषण के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, जब डी. एन. ए. साक्ष्य का पता लगाना, एकत्र करना और संरक्षित करना दूषित हो सकता है जब किसी अन्य स्रोत से डी. एन. ए. प्रकरण से संबंधित डी. एन. ए. के साथ मिल जाता है। यह तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति साक्ष्य पर छींकता है या खांसता है या उसके मुंह, नाक या चेहरे के अन्य हिस्से को छूता है और फिर उस क्षेत्र को छूता है



जिसमें परीक्षण के लिए डीएनए हो सकता है। जैविक नमूने वाले प्रदर्शन, जो प्रकरण को हल करने के लिए पीड़ितों, संदिग्धों के बीच संबंध स्थापित कर सकते हैं, अपराध स्थल की पहचान की जानी चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए, पैक किया जाना चाहिए और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाना चाहिए।"

32. यह सच है कि पी. डब्ल्यू.-23 डॉ. बी. के. महापात्रा, सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) ने कटघरे में कदम रखा था और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में उनकी रिपोर्ट को एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया था। अ.सा.-23/ए, तथापि केवल एक दस्तावेज का प्रदर्शन, इसकी सामग्री को साबित नहीं करेगा। अभिलेख से पता चलता है कि अभियुक्त से संबंधित और मृतका से संबंधित सभी नमूनों को अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2012 और 16.02.2012 को जब्त कर लिया गया था और उन्हें परीक्षण के लिए दिनांक 27.02.2012 को सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था। इस अवधि के दौरान, वे पुलिस थाना के मालखाने में रहे। इन परिस्थितियों में, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। न तो विचारण न्यायालय ने और न ही उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. रिपोर्टों में निष्कर्षों के अंतर्निहित आधार की जांच की है और न ही उन्होंने इस तथ्य की जांच की है कि क्या तकनीकों को विशेषज्ञ द्वारा विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में सभी रिपोर्ट अत्यधिक असुरक्षित हो जाती हैं, विशेष रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह और सीलिंग भी संदेह से मुक्त नहीं था।

15. श्री अली ने यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्त के पूरे कथन में, विचारण न्यायालय ने डी. एन. ए. के संबंध में विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा है अर्थात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त से यह नहीं पूछा है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है या डी. एन. ए. के कुछ तारों का मृतका के साथ मिलान किया गया है। ट्रायल विचारण न्यायालय ने बस यह प्रश्न रखा है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट को प्र.पी.-44 के रूप में प्रदर्शित किया गया है, आप क्या कहना चाहते हैं, उक्त प्रश्न धारा 313 (1) (बी) के अधीन विचार की गई अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करता है क्योंकि उक्त खंड "शॉल" शब्द से शुरू होता है और इसलिए यह अनिवार्य है और इसका गैर-अनुपालन पूरे विचारण को दूषित कर देगा। इस संबंध में, उन्होंने (2008) 16 एस. सी. सी. 328 में प्रकाशित असरफ अली बनाम असम राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया। सुसंगत अनुच्छेद 13 है, जो इस प्रकार है:

"13. संहिता की धारा 313 न्यायालय पर यह कर्तव्य डालती है कि वह 17 मामलों के लिए अभियुक्त के समक्ष पूछताछ या परीक्षण प्रश्न रखे। उसे अपने खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य। यह आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को



विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो विचारण को दूषित करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। संहिता की धारा 313 का उद्देश्य न्यायालय और अभियुक्त के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। यदि साक्ष्य में अभियुक्त के खिलाफ एक बिंदु महत्वपूर्ण है, और दोषसिद्धि उसी पर आधारित होने का इरादा है, तो यह सही और युक्तियुक्त है कि अभियुक्त से मामले के बारे में पूछताछ की जानी चाहिए और उसे समझाने का अवसर दिया जाना चाहिए। जहां विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में दोषारोपण सामग्री पर कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा गया है, वह विचारण को दूषित कर देगा। बेशक, ये सभी इस बात पर निर्भर हैं कि क्या वे न्याय की विफलता या पूर्वाग्रह का कारण बने हैं। इस न्यायालय ने एस हरनाम सिंह बनाम राज्य (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2140) में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 342 (संहिता की धारा 313 के अनुरूप) से संबंधित। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को अपने सुसंगत पहलुओं में दोषारोपण सामग्री का संकेत न देना अभियोजन प्रकरण की भेद्यता को बढ़ाता है। धारा 313 के अधीन अभियुक्त का कथन दर्ज करना एक उद्देश्यहीन अभ्यास नहीं है।" वर्तमान प्रकरण में भी विचारण न्यायालय इसका पालन करने में विफल रहा और इसलिए जो प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के सामने नहीं रखा गया है, उसका उपयोग अभियुक्त के खिलाफ दोषसिद्धि के लिए नहीं किया जा सकता है।

16. श्री अली ने आगे कहा कि पूरे पीएम रिपोर्ट में मृतका के साथ बलात्कार का कोई सबूत नहीं है, आगे शवपरीक्षण करने वाले डॉक्टर ने विशेष रूप से अपने न्यायालयीन कथन में कहा है कि बलात्कार का कोई संकेत नहीं है, लेकिन जैसा कि आरोप लगाया गया है कि मृतका की योनि स्लाइड का नमूना अभियुक्त रक्त के नमूने के साथ डीएनए मिलान के लिए लिया गया है और वह भी एक महीने के अंतराल के पश्चात और इसलिए मृतका और अभियुक्त रक्त के नमूने की योनि स्लाइड से डीएनए के मिलान की कोई संभावना नहीं है। यह उल्लेख करना युक्तियुक्त है कि ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि मृतका की योनि स्लाइड का नमूना कभी लिया गया था।

17. श्री अली ने तर्क दिया कि पूरा अभियोजन प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और जिसके लिए अभियोजन पक्ष को इसे सभी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करना होगा, लेकिन अभियोजन पक्ष इसे साबित करने में विफल रहा है। शिवकुमार मरकाम (अ.सा.05) वह साक्षी है जिसे अंतिम बार देखे गए साक्षी के रूप में दिखाया गया है, लेकिन उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है और उसने सभी कथनों और बयानों का खंडन किया है। इसके अलावा अन्य साक्षियों ने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है अर्थात् गदवरम मरकम (अ.सा.-4) और लखनलाल नाग (अ.सा.-6) मेमो और जब्ती के साक्षी हैं, उन्होंने भी अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और अन्य साक्षियों यानी



हितबद्ध साक्षियों या मृतका के परिवार के सदस्यों ने भी अपीलार्थी के खिलाफ कथन नहीं दिया है। इस संबंध में उन्होंने उसी निर्णय अर्थात् राहुल, रवि कुमार, वीनो @ छोटू पूर्वोक्त का अवलंब लिया जो असुसंगत 19 पैराग्राफ 33 है, जो इस प्रकार है:

"33. इस प्रकार, परिस्थितियों की समग्रता और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त के अपराध को साबित किया था। तथ्य विधिक स्थिति के अनुसार, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। जैसा कि पहले प्रदर्शित किया गया है, अपीलार्थी-अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, दोषपूर्ण वस्तुओं की खोज और बरामदगी, इंडिका कार की पहचान, वस्तुओं की बरामदगी और सीलिंग और नमूनों का संग्रह, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सी. डी. आर. आदि के संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए बहुत कम ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए गए थे। अभियोजन पक्ष को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे घर लाना पड़ता है, जो अभियोजन पक्ष तत्काल न्यायालय में करने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप, न्यायालय के पास अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि वह एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाता है या दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़िता के परिवार को एक तरह की पीड़ा और हताशा हो सकती है। तथापि न्यायालयों को नैतिक दोषसिद्धि या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी दोषसिद्धि केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकरण का निर्णय न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष और विधि के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।"

वर्तमान प्रकरण में भी अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला स्थापित नहीं की है और यह भी साबित नहीं किया है कि अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

18. श्री अली ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने गदवाराम मरकाम (अ.सा.-4) को मेमो और जब्ती साक्षी के रूप में पेश किया है, लेकिन अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है और



लोक अभियोजक ने उसे केवल मृतका के भौतिक शरीर के विवरण की सीमा तक पक्षद्रोही घोषित किया है, क्योंकि उक्त साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करते हुए न्यायालयीन कथन में इसका उल्लेख किया गया है और लोक अभियोजक ने उक्त शिव कुमार मरकाम (अ.सा.-5) को मेमो और जब्ती के संबंध में पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है और इसलिए अ.सा.-4 अर्थात् गडवाराम का न्यायालयीन कथन अभियोजन पक्ष पर बाध्यकारी है और इस संबंध में उन्होंने प्रतिवादी पर भरोसा किया है। राजा राम बनाम राजस्थान राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 2005 (5) एस. सी. सी. 272 में रिपोर्ट किया गया। सुसंगत अनुच्छेद 9 है जो यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:

"9. लेकिन सार्वजनिक साक्षी 8 डॉ. सुखदेव सिंह, जो एक अन्य पड़ोसी हैं, की गवाही को अभियोजन पक्ष द्वारा आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में गवाही दी है कि उन्होंने सार्वजनिक साक्षी 5 को 21 बनाते हुए देखा है।

मृतका का मानना है कि जब तक वह अपीलार्थी और उसके माता-पिता पर दोष नहीं डालती, उसे अभियोजन कार्यवाही जैसे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। निचली न्यायालय में लोक अभियोजक के लिए ऐसा नहीं हुआ कि वह केवल ज्ञात कारणों से सार्वजनिक साक्षी 8 को पक्षद्रोही साक्षी के रूप में सुनने के लिए न्यायालय की अनुमति ले। अब, सार्वजनिक साक्षी 8 का साक्ष्य अभियोजन पक्ष के लिए बाध्यकारी है। बिल्कुल कोई कारण नहीं, किसी भी अच्छे कारण से बहुत कम, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कहा गया है कि सार्वजनिक साक्षी 8 की गवाही को कैसे दरकिनार किया जा सकता है।"

19. श्री अली ने आगे तर्क दिया कि निचली विचारण न्यायालय ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन अपराधों के लिए अपीलार्थीओं को भी सिद्धदोष किया है और जिसके लिए निचली विचारण न्यायालय ने मुख्य रूप से कामता प्रसाद शादिल्य (अ.सा.-13) के कथन पर भरोसा किया है, जो शिक्षक हैं और उन्होंने दाखिल खरिज रजिस्टर पेश किया और इस संबंध में अपीलार्थी का निवेदन यह है कि उक्त साक्षी ने पहले ही प्रतिपरीक्षण में स्वीकार कर लिया है कि प्रविष्टियां उसके द्वारा नहीं की गई थीं और आगे स्वीकार किया कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसके निर्देश पर जन्म तिथि की उक्त प्रविष्टि की गई थी। इसके अलावा अभियोक्त्री के पिता अर्थात् रामप्रसाद नेताम (अ.सा.-1) ने प्रमुख की अपनी जांच में कहा है कि उन्हें मृतका की जन्म तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उस बिंदु पर अभियोजन पक्ष ने अ.सा.-1 को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया है और इसलिए यह राजा राम पूर्वोक्त में ऊपर उद्धृत निर्णय के आलोक में अभियोजन पक्ष पर भी बाध्यकारी है। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने मृतका का परीक्षण भी नहीं किया है ताकि यह स्थापित किया जा सके और इसलिए दोषसिद्धि 22 पाँक्सो अधिनियम के अधीन भी टिकाऊ नहीं है और अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार है।



20. दूसरी ओर, राज्य/प्रतिवादी की ओर विद्वान पेश उप शासकीय अधिवक्ता श्री गगन तिवारी प्रस्तुत करेंगे कि अभियोजन पक्ष का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। सबूत कॉल विवरण से शुरू होते हैं। घटना की तिथि अर्थात् 09.05.2019 पर, अपीलार्थी कमलेश नेताम ने मृतका के नंबर पर कॉल किया है, इसलिए वे एक-दूसरे को जानते थे। वह आगे प्रस्तुत करता है कि अभियुक्त के मेमो के आधार पर, मृतका का दुपट्टा और एक जोड़ी चप्पल और अभियुक्त कमलेश नेताम की टी-शर्ट जब्त की गई थी, जिसमें एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार, खून के धब्बे पाए गए थे और इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जहाँ तक मृतका की योनि के स्वैब और योनि स्लाइड लेने के संबंध में आपत्ति प्रदर्शित नहीं की गई थी, डॉ. ज्योतिर्मय प्रभावती (अ.सा.-7) ने अपनी मुख्य परीक्षण के पैराग्राफ 4 में उसी के बारे में कहा है, जिसे न तो प्रतिपरीक्षण कराया गया था और न ही आक्षेपित विद्वान गया था और निर्णय के पैराग्राफ 46 में विद्वान विचारण न्यायालय ने बलात्कार के अपराध से निपटा है। वह यह भी प्रस्तुत करता है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह से परे अपराध को साबित करने में सक्षम रहा है और विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को ऊपर उल्लिखित अपराध के लिए सही तरीके से सिद्धदोष किया है और इसलिए, अपीलें खारिज किए जाने के योग्य हैं।

21. पक्षों की ओर से दिए गए तर्कों की विवेचना करने के लिए, हमें अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करनी होगी।

22. रामप्रसाद नेताम (अ.सा.-1) प्रकरण का प्रथम सूचनाकर्ता और मृतका का पिता है। अपने मुख्य परीक्षण में वह कहता है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा पेश किए गए अभियुक्त को नहीं जानता है। मृतका पीड़िता मेरी पुत्री थी। यह घटना आज से चार-पाँच महीने पहले हुई थी। रात के आठ-नौ बजे थे, हम घर पर खाना खाकर सोने चले गए। मुझे नहीं पता कि पीड़िता रात में कितनी देर तक घर से निकली। उसकी बड़ी बहनें सावित्री और हेमबती पीड़िता के साथ सो रही थीं। सुबह उठने पर मैं उनके कमरे में गया और देखा कि पीड़िता बिस्तर पर नहीं है, फिर मैंने सावित्री और हेमबती से पूछा कि पीड़िता कहाँ है। सावित्री और हेमबती ने मुझे पीड़िता के घर छोड़ने के बारे में कुछ नहीं बताया। सुबह में, उन्होंने चारों ओर पूछताछ की और कहीं नहीं मिली, सुबह लगभग 7 बजे थे, ग्राम गदवरम के सरपंच मेरे घर आए और बताया कि कोई पास के खेत में सो रहा है। खबर सुनकर जब हम खेत में गए पश्चात् हमने देखा कि पीड़िता मृत पड़ी थी, उसके मुँह से खून निकल रहा था। पीड़िता का शव देखकर मैं फरसगांव पुलिस थाना गया और अपनी पुत्री की मृत्यु की सूचना दी, जिस पर मार्ग सूचना (प्र.पी.-1) दर्ज की गई और तत्पश्चात् पुलिस वाले ग्राम आए जब मैंने रिपोर्ट दी, मैंने पुलिसकर्मियों को वह जगह दिखाई जहाँ पीड़िता का शव पड़ा था। पुलिस ने मेरी निशानदेही पर घटना स्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.-21 द्वारा तैयार किया। पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा तैयार किया था। मुझे पीड़िता की जन्म तिथि नहीं पता है। किसी अनजान व्यक्ति के मारने से मेरी पुत्री की मृत्यु हो गई,



बाद में मुझे पता चला कि बोरगाँव से उमेश नाम का एक व्यक्ति है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद अभियुक्त की ओर इशारा करते हुए साक्षी ने बताया कि वह अभियुक्त है।

23. अपनी प्रतिपरीक्षण में उन्होंने कहा है कि यह कहना सही है कि मुझे पीड़िता की जन्म तिथि याद नहीं है, यह कहना युक्तियुक्त है कि मैं अनपढ़ हूँ, यह कहना युक्तियुक्त है कि मुझे अपनी जन्म तिथि भी याद नहीं है। यह कहना सही है कि मैं अपने घर में अपनी पत्नी के साथ एक अलग कमरे में सोता हूँ और मेरे बच्चे अलग कमरे में सोते हैं। यह कहना सही है कि पीड़िता भी अपनी बहनों के साथ अलग सोती थी। यह कहना सही है कि घटना की तिथि को, जब पीड़िता घर से निकली थी, तो उसके साथ सोने वाली बहनों को भी नहीं पता था। यह कहना सही है कि दूसरे दिन शव गदावरम के खेत में मिला और यह पाया गया कि उसकी हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने की थी। यह कहना सही है कि मैंने उस व्यक्ति को नहीं देखा जिसने मेरी पुत्री की हत्या की थी। यह कहना सही है कि मैंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, बाद में पुलिस ने अभियुक्त को पकड़ लिया और उन्हें अपने मोबाइल फोन के साथ लाया, फिर मुझे अभियुक्त के बारे में पता चला।

24. सावित्री बाई (अ.सा.-2), जो मृतका की बड़ी बहन हैं, ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मौजूद दोनों अभियुक्तों को पहचानती हूँ। उनमें से एक का नाम कमलेश नेताम है, जो आज गहरे नीले रंग की कमीज पहने हुए है और दूसरे का नाम नहीं जानती, लेकिन वह ग्राम नालझार का निवासी है। पीड़िता मेरी छोटी बहन थी। यह घटना मई 2019 की है। रात में मैं मृतका और हेमबती के साथ रात का खाना खाने के पश्चात सोयी थी। मैं नहीं जानती हूँ पीड़िता रात में कहाँ गयी थी। मैं सुबह उठी और उसके मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। आज मुझे याद नहीं कि उस मोबाइल का नंबर क्या था। मेरे घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर सरपंच का खेत है। वहाँ से सरपंच ने फोन किया और बताया कि एक व्यक्ति मेरे खेत में सो रहा है। आवाज सुनकर, मैं मौके पर गया और देखा कि मेरी बहन आम के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ी थी, पास जाकर उसे हिलाया और उसे पकड़ लिया, वह पहले से ही मर चुकी थी और उसके मुँह से खून निकल रहा था, उसके शरीर पर पुरे कपड़े थे। मोबाइल उसके बाएँ हाथ में था, उसके पश्चात मैं उसे पकड़कर रोने लगी।

25. हेमलता (अ.सा.-3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं वर्तमान अभियुक्त को नहीं पहचानती। मैं मृतका पीड़िता को भी जानती हूँ। घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। आज से लगभग छह महीने पहले, हमारा खेत सरायपाल ग्राम में है, मेरे पति सुबह 8 बजे खेत में फसल देखने गए थे। मेरे पति ने पीड़िता का शव खेत में पड़ा देखा और उसके परिवार के सदस्यों को बताया, फिर वे मौके पर आए और रोने लगे। उसे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया।

26. गदवरम मरकाम (अ.सा.-4) ने अपने कथन में कहा है कि मैं वर्तमान अभियुक्त को नहीं पहचानता, मैं मृतका पीड़िता को जानता हूँ। घटना मई 2019 की है, मैं सुबह 7-8 बजे अपने खेत में



फसल देखने गया, एक लड़की को आम के पेड़ के नीचे सोते हुए देखा, मैंने सावित्री को फोन किया, फिर सावित्री और उसके माता-पिता मेरे पास आए और कहा कि पीड़िता लड़की शाम से घर वापस नहीं आई, फिर मैं उनके साथ आम के पेड़ के नीचे सोने की जगह पर गया और देखा कि उसके परिवार के सदस्यों ने पीड़िता को पहचाना। वह मृत अवस्था में लेटी हुई थी, फिर हम डर गए और ग्रामीणों को सूचित किया। इस साक्षी को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था।

27. शिव कुमार मरकाम (अ.सा.-5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मौजूद अभियुक्त को नहीं पहचानता, मैं मृतका पीड़िता को भी नहीं जानता। घटना के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस ने मुझसे पूछताछ नहीं की थी और न ही मेरा कथन लिया था। इस बिंदु पर विशेष लोक अभियोजक द्वारा उसे शारीरिक संबंध के बिंदु पर पक्षद्रोही घोषित करने की अनुमति मांगी गई थी, सूचक प्रश्न पूछने के लिए, प्रकरण को देखने के पश्चात अनुमति दी गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 3 में उन्होंने कहा है कि मैं देवनाथ को जानता हूँ, यह कहना सही है कि जिस रात मैं देवनाथ की पुत्री की विवाह में शामिल होने गया था, वहां से मैं लगभग नौ बजे पैदल घर आया था। यह कहना गलत है कि जब मैं शादी में शामिल होकर वापस आ रहा था, पश्चात मैंने पीड़िता को सड़क के किनारे खड़ा देखा। यह कहना गलत है कि मैंने अभियुक्त कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम को सड़क के किनारे खड़े देखा था। यह कहना गलत है कि कमलेश और सोनाराम राजमिस्त्री हैं, इसलिए मैं उन्हें जानता हूँ। पैराग्राफ 4 में, उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत है कि जब मैंने पीड़िता से पूछा कि वह कहाँ जा रही है, तो उसने कहा कि वह अपने भाइयों के घर जाने का इंतजार कर रही थी। यह कहना गलत है कि मैंने अपना मोबाइल नंबर पीड़िता को यह कहते हुए दिया था कि अगर कोई नहीं आया तो मैं उसे घर छोड़ दूंगा। यह कहना गलत है कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो पीड़िता अभियुक्त के साथ मोटर साइकिल से नालाझार की ओर चली गई। यह कहना गलत है कि दूसरे दिन 10.05.2019 से पहले 11.00 दोपहर। 27 पर 9575481520 नंबर से मेरे मोबाइल पर एक मिसड कॉल आया। पैराग्राफ 5 में उन्होंने कहा है कि यह कहना गलत है कि मैं अभियुक्त के साथ काम करता हूँ इसलिए मैं उन्हें बचाने के लिए सही कथन नहीं दे रहा हूँ। यह कहना गलत है कि प्र.पी.-5 द्वारा पुलिस को दिया गया कथन उपरोक्त पते से है। यह मेरा कथन है, पुलिस को कथन दिया गया था।

28. लखन लाल नाग (अ.सा.-6) ने अपने कथन में कहा है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मौजूद अभियुक्त को नहीं पहचानता। मैं मृतका पीड़िता को जानता हूँ। लगभग छह-सात महीने पहले की बात है, मैं दूसरे ग्राम का रहने वाला हूँ, ग्राम में हंगामा हुआ कि किसी की मृत्यु हो गई है, फिर मैंने जाकर देखा कि पीड़िता की मृत्यु हो गई है, शव ग्राम से दूर खेत में पड़ा हुआ था। मेरे सामने, पुलिसकर्मियों ने नक्शा पंचायतनामा की कार्रवाई नहीं की। मार्ग पंचनामा का दिया गया नोटिस प्रदर्श पी -3 है। साक्षी खुद कहता है कि मैंने पुलिस थाना में हस्ताक्षर किए थे। मेरे सामने अभियुक्त कमलेश नेताम से कोई पूछताछ नहीं की गई थी। मेरे सामने ज़ब्त करने की कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस स्तर पर, उन्हें



पक्षद्रोही घोषित किया गया था और अपने प्रतिपरीक्षण में उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

29. डॉ. ज्योतिर्मय प्रभावती (अ.सा.-7), जिन्होंने श्री शैलेंद्र कुमार भोयर के साथ मृतका के शव का शवपरीक्षण किया है, ने कहा है कि शव की जांच करने के पश्चात निम्नलिखित तथ्य पाए गए -

01. बाह्य परीक्षण -मृत चित अवस्था में पड़ा हुआ था, दोनों आँखें बंद थीं, मुँह आधा खुला था, जीभ को दो दांतों के बीच दबाया गया था, मुँह खून और खून से भरा हुआ था मुँह पर जम गया था, दोनों हाँठ नीले हो गए थे (साइनोसिस)। दाँत पर खून था, नाक से खून निकल रहा था, दाहिने कान से खून नहीं निकल रहा था, चेहरे और सिर पर खून के धब्बे थे। मृत शरीर पर गुलाबी रंग की कुर्ती, हरे रंग का लेगिंग, भूरे रंग के अंडरवियर और नारंगी रंग का सीमिज पहने थी।

02. मृत्यु के पश्चात शरीर पर कठोरता मौजूद थी, पीठ पर जीवंतता (संकेत) मौजूद थी, कूल्हे पर मिट्टी मौजूद थी, दाहिने गले पर अर्धचंद्र के आकार का खरोंच का निशान था, जिसका आकार 0.8x2 सेमी था, उक्त चोट मृत्यु से पहले की थी। दाहिने गाल, गर्दन और बाएं कंधे और छाती के बीच में चींटी के काटने के निशान थे जो मृत्यु पश्चात के थे।

03. आंतरिक परीक्षण-गले की दूसरी क्रमांक की हड्डी टूट गई थी और दूसरी और तीसरी क्रमांककी हड्डी अपने स्थान से विस्थापित हो गई थी, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, गला और श्वासनली, दाहिने फेफड़े, बाएं फेफड़े कंजेस्टेड थे। हृदय का दाहिना कक्ष रक्त से भरा हुआ था और बायां कक्ष खाली था। छोटी आंत अपचित भोजन से भरी हुई थी, बड़ी आंत मल से भरी हुई थी और मूत्राशय मूत्र से भरा हुआ था।

04. मैंने पेट, दोनों फेफड़ों के टुकड़ों, हृदय के टुकड़ों, यकृत के टुकड़ों, गुर्दे के टुकड़ों, प्लीहा के टुकड़ों को सामान्य घोल में डाल दिया और रासायनिक परीक्षण की सलाह दी और उसके जननांगों के दो योनि स्वैब, दो योनि स्लाइड तैयार करके सील करके और संबंधित आरक्षक को डी. एन. ए. परीक्षण करने की सलाह देने के पश्चात सौंप दिया। राय-हमारी राय में, मृतका/पीड़िता की मृत्यु स्वासनावरोध के कारण हुई मुँह और नाक के संपीड़न और गले के संपीड़न के कारण हड्डी के फ्रैक्चर के कारण दम घुटने के कारण हुई, मृत्यु की प्रकृति मानववध थी, जो शवपरीक्षण से स्पष्ट है।

30. अपनी प्रतिपरीक्षण के पैराग्राफ 7 में उन्होंने कहा है कि यह कहना सही है कि मैं यह नहीं बता सकती कि थाना फरसगांव के किस कर्मचारी ने शव की पहचान की थी। यह कहना गलत है कि मैंने मृतका की पहचान करने की प्रक्रिया उसके परिवार के सदस्यों से नहीं कराई। यह कहना सही है कि मुझे शवपरीक्षण के दौरान गला घोटने के संबंध में उंगली के निशान स्पष्ट रूप से नहीं मिले। यह कहना सही है कि प्र.पी.-14 में भी मृतका के बलात्कार के संबंध में कोई सबूत नहीं मिला था। पैराग्राफ 9 में, उन्होंने आगे कहा है कि यह कहना सही है कि उक्त पीएम रिपोर्ट जो इस प्रकरण में अलग से संलग्न है



प्र.डी.-2 को टाइप किया गया था और पुलिस थाना द्वारा लाया गया था। यह कहना सही है कि उसी के भाग ए से ए तक मेरे द्वारा हस्ताक्षरित है। यह कहना गलत है कि मैंने संक्षिप्त पीएम रिपोर्ट देखने के पश्चात प्र.पी.-14 पर रिपोर्ट लिखी थी।

31. बालचंद कोरम (अ.सा.-8) ने अपने कथन में कहा है कि मैं वर्तमान अभियुक्त को नहीं पहचानता। मैं मृतका/पीड़िता को पहचानता हूँ। मैंने अपना मोबाइल नंबर 7067680865 पीड़िता को मोबाइल और सिम के साथ दिया था। बाद में मेरा मोबाइल हैंडसेट वापस ले लिया, मृतका ने उस सिम को अपने पास रख लिया। मैं मृतका को उस नंबर पर ले जाता था, कुछ दिनों पश्चात पीड़िता मुझसे बात नहीं करती थी, मैं उससे बात नहीं करता था, मृतका ने मुझे बरकाई मेले की रात को फोन किया था, कि मैं जगदंब के साथ बरकाई मेले गया था, हम वहां मृतका से मिले थे। बाद में मुझे अखबार से पता चला कि मृतका का शव खेत में पड़ा हुआ था जिसकी किसी ने हत्या कर दी थी। उन्होंने आगे कहा कि यह कहना सही है कि मृतका/पीड़िता जो मुझसे बात करती थी, वह लोगों से बात करती थी।

32. डॉ. प्रणति (अ.सा.-9) ने अपने कथन के पैराग्राफ 2 में कहा है कि मेरे सामने साक्षियों की उपस्थिति में अभियुक्त कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम के खून को दो अलग-अलग ईडीटीए वैल में संरक्षित किया गया था। वेइल में सुरक्षित खून तकनीशियन द्वारा लिया गया था जिसे सील कर लिया गया और जब्त कर लिया गया। जब्ती पत्रक प्र.पी.-7 है, जिसमें ए से ए पर मेरे हस्ताक्षर हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा है कि यह कहना सही है कि मेरे द्वारा जो भी कार्रवाई की गई थी वह साक्षियों के सामने की गई थी। यह कहना सही है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकती, मैं अभिलेख देखकर बता सकती हूँ। यह कहना गलत है कि मैंने साक्षियों की उपस्थिति में प्र.पी.-7 नहीं लिखा था। यह कहना सही है कि जो नमूना लिया गया था वह एक तकनीशियन द्वारा लिया गया था। मुझे उस तकनीशियन का नाम याद नहीं है। यह कहना गलत है कि तकनीशियन द्वारा रक्त का कोई नमूना नहीं लिया गया था।

33. सागरमती (अ.सा.-10) एक प्रधान आरक्षक थी जो पुलिस साइबर सेल, पुलिस थाना और जिला-कोंडागांव के अधीक्षक के कार्यालय में तैनात थी। पुलिस थाना, फरसगांव से अनुरोध प्राप्त होने पर, उन्होंने कॉल विवरण और मोबाइल नंबर 9575481520, 7000702320 और 7354182741 के मालिकों के नाम प्र.पी.-21 द्वारा दिए हैं।

34. रुक्मिणी मंडावी (अ.सा.-11) ने कहा है कि 2014 से वह पुलिस थाना, फरसगांव में सहायक उप-निरीक्षक के रूप में तैनात हैं। वह 31 वर्ष की हैं। थाना प्रभारी के निर्देश पर और प्र.पी.-3 द्वारा साक्षियों को बुलाने के पश्चात मृतका की मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी -4 के द्वारा तैयार की गई और उसके द्वारा प्र.पी.-26 द्वारा घटनास्थल से खून से सनी हुई मिट्टी और सादी मिट्टी बरामद की गई।

35. विनोद कुमार साहू (अ.सा.-12), जो प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी हैं, ने कहा है कि मैं फरवरी 2019 से थाना फरसगांव में निरीक्षक के रूप में तैनात हूँ। दिनांक 10/05/2019 को रात 9:30 बजे



रामप्रसाद नेताम पुलिस थाने में मौजूद थे और उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री रात में बिना सूचना दिए घर से निकल गई थी, सुबह जब उन्हें पता चला कि उनका शव चैन सिंह के खेत में पड़ा हुआ है, जिसके संबंध में उन्होंने रामप्रसाद नेताम के बताये अनुसार मर्ग सूचना लिखी थी, जिसमें बाईं ओर मेरे हस्ताक्षर हैं और मर्ग सूचना लिखने के पश्चात मैं घटनास्थल के लिए रवाना हुआ, दिनांक 10/05/2019 रात 9:30 बजे सराइपाल पारा पुसपाल पहुंचा। प्र.पी.-2 द्वारा घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया। उपरोक्त तिथि पर सहायक उप-निरीक्षक रुक्मिणी मंडावी भी मेरे साथ मौजूद थी, जिनके द्वारा साक्षियों को नोटिस दिया गया और मेरे सामने शव का पंचनामा तैयार किया गया, उसके पश्चात मैंने शव का शव परीक्षण करने के लिए एक आवेदन तैयार किया था। शुरु में उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और साक्षी शिव कुमार मरकाम (अ.सा.-5) का कथन दर्ज करने के पश्चात जिसने कहा है कि उसने अपीलार्थी कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम को मृतका को मोटरसाइकिल पर अपने साथ ले जाते देखा है, अभियुक्त कमलेश नेताम को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसका मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-6 द्वारा दर्ज किया गया, जिसमें उसने स्वीकार किया है कि उसने और सह-अभियुक्त/अपीलार्थी सोनाराम नेताम ने मृतका को बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी।

तत्पश्चात अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और प्रदर्श पी-11 और प्रदर्श पी-12 द्वारा गिरफ्तारी मेमो तैयार किए गए। अभियुक्त कमलेश नेताम के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर भा.द.वि. की धारा 363, 376, 34 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 04, 06 को अभियोग पत्र में जोड़ा गया है।

36. कामता प्रसाद शादिल्या (अ.सा.-13), जो प्राथमिक विद्यालय, सराइपाल (कोतवेल) में सहायक शिक्षक के रूप में पदस्थ थे, जहाँ मृतका/पीड़िता ने पढ़ाई की थी। उन्होंने दाखिल खारिज रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिसमें मृतका/पीड़िता की जन्म तिथि क्र. 73 पर 10.01.2002 के रूप में उल्लेखित है और उसे 20.06.2007 को कक्षा-1 में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने कहा है कि मैं यह नहीं बता सकता कि उक्त रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि क्र. 73 पर किसने दर्ज की थी। पैराग्राफ 5 में उन्होंने कहा है कि यह कहना सही है कि उक्त रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज चिपकाया नहीं गया है। उपरोक्त जन्म तिथि वर्ष 2002 में मेरे द्वारा दर्ज नहीं की गई है।

37. अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय पर आधारित है जो केवल डीएनए रिपोर्ट अर्थात् प्र.पी.-44 पर आधारित है।

38. विचार के लिए पहला प्रश्न यह होगा कि क्या विचारण न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अभियुक्त के कथन सही तरीके से लिए हैं या नहीं?

39. विचारण न्यायालय ने प्रश्न संख्या 110 को निम्नलिखित तरीके से रखा है :



प्रश्न 110 – इस साक्षी का यह भी कथन है कि प्रयोगशाला की प्रदर्श प्राप्ति रसीद प्र.पी. 41 से 43 है, डी. एन. ए. परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी 44 है जो छः पन्ने में है, प्रयोगशाला का परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-45 एवं 46 है ?

उपरोक्त प्रश्न के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त को डी. एन. ए. नमूना संग्रह और डी. एन. ए. रिपोर्ट के संबंध में कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा गया है। इस प्रकार, प्रकरण के पूरे तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन अभियुक्त की जाँच दोषपूर्ण है। इसलिए, हम मानते हैं कि विचारण न्यायालय ने द.प्र.सं. की धारा 313 के अधीन प्रश्न उठाते हुए गंभीर अवैधता की है क्योंकि अभियुक्त/अपीलार्थीगण से कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं किया गया है।

40. विचार के लिए दूसरा प्रश्न यह होगा कि क्या अभियोजन पक्ष ने डीएनए परीक्षण करने के लिए रक्त के नमूने लेने के लिए युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन किया है?

41. अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर मृतका की योनि के स्वैब और योनि स्लाइड का नमूना लिया है, जिसका पूरे अभियोग पत्र में कहीं भी उल्लेख नहीं है और अभियुक्त से नमूने एकत्र करने में भी देरी है और वह भी बिना किसी स्पष्टीकरण के कि उक्त नमूने कहां से एकत्र किए गए थे और इससे डीएनए रिपोर्ट संदिग्ध हो जाती है। इस प्रकार, हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने डीएनए परीक्षण करने के लिए रक्त के नमूने लेने के लिए युक्तियुक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।

42. विचार के लिए तीसरा और अंतिम प्रश्न यह होगा कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह स्थापित किया है कि घटना के समय पीड़िता अप्राप्तवय थी?

43. इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने विचारण न्यायालय के समक्ष पीड़िता का दाखिल खारिज रजिस्टर पेश किया है। विचारण न्यायालय ने कामता प्रसाद शादिल्य (अ.सा.-13) का कथन दर्ज किया है। अपने साक्ष्य के पैरा 2 में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने दाखिल खारिज रजिस्टर प्रस्तुत किया है, जिसमें मृतका/पीड़िता की जन्म तिथि क्र. 73 में 10/01/2002 के रूप में उल्लेखित है और पीड़िता को 20.06.2007 को कक्षा-1 में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने कहा है कि वह यह नहीं बता सकते कि उक्त रजिस्टर में पीड़िता की जन्म तिथि क्र. 73 पर किसने दर्ज की थी। अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में उन्होंने कहा है कि यह कहना सही है कि दाखिल रजिस्टर में उल्लिखित जन्म तिथि को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में कोई दस्तावेज चिपकाया नहीं गया है। इस प्रकार, हम मानते हैं कि अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित करने में विफल रहा है कि घटना के समय पीड़िता अप्राप्तवय थी।

44. राहुल, रवि कुमार, विनोद उर्फ चुतु (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइलिंग पद्धति और सांख्यिकीय विश्लेषण के मुद्दे पर विस्तार से विचार करते हुए, साथ ही डीएनए साक्ष्य के संग्रह और संरक्षण के बारे में, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 32 में अभिनिर्धारित किया कि



अभियुक्त और मृतका से संबंधित सभी नमूने अन्वेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2012 और 16.02.2012 को जब्त किए गए थे; और उन्हें 27.02.2012 को परीक्षण के लिए सीएफएसएल भेजा गया था। इस अवधि के दौरान, वे पुलिस थाना के मालखाने में रहे। पैरा 33 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित कि यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्तों को दण्ड नहीं मिलती या उन्हें दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़िता के परिवार को एक प्रकार की पीड़ा और निराशा हो सकती है, हालांकि न्यायालयों को नैतिक विश्वास या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्तों को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी दोषसिद्धि केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका के आधार पर नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले को न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना, गुण-दोष के आधार पर और विधि के अनुसार सख्ती से तय किया जाना चाहिए। परिस्थितियों के तहत, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

45. वर्तमान प्रकरण में, अभियोजन पक्ष ने कथित तौर पर मृतका की योनि स्लाइड का नमूना लिया है, जिसका पूरा अभियोग पत्र और विचारण न्यायालय के दस्तावेजों में कहीं भी उल्लेख नहीं है और उसके बाद 21.06.2019 को अभियुक्त/अपीलार्थी का नमूना लिया है, अंतर एक महीने से अधिक का है। इन परिस्थितियों में, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

46. स्थापित विधिक स्थिति के अनुसार, परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। जैसा कि पहले दिखाया गया है, अपीलार्थी-अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, वस्तुओं की जब्ती और मुहर लगाने और नमूनों के संग्रह, सांख्यिकीय विश्लेषण, साक्ष्य के संग्रह और संरक्षण, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सी. डी. आर. आदि के संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए बहुत ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए गए थे। अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना पड़ता है, जो अभियोजन पक्ष प्रस्तुत प्रकरण में करने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप, न्यायालय के पास अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि वह एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाता है या दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़िता के परिवार को एक तरह की पीड़ा और हताशा हो सकती है, तथापि विधि अदालतों को नैतिक दोषसिद्धि या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी दोषसिद्धि केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होनी चाहिए।



प्रत्येक प्रकरण का निर्णय न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष और विधि के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।"

47. अशरफ अली (पूर्वोक्त) के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संहिता की धारा 313 न्यायालय पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह अभियुक्त को उसके खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से पूछताछ या परीक्षण प्रश्न पूछे। यह आवश्यक परिणाम के रूप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के खिलाफ साक्ष्य में दिखाई देने वाली प्रत्येक भौतिक परिस्थिति को विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से और अलग से उसके सामने रखा जाना आवश्यक है और ऐसा करने में विफलता एक गंभीर अनियमितता के समान है जो विचारण को दूषित करती है, यदि यह दिखाया जाता है कि अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त था। वर्तमान प्रकरण में भी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन दर्ज अभियुक्त के पूरे कथन में, विचारण न्यायालय ने डी. एन. ए. के संबंध में विशिष्ट प्रश्न नहीं रखा है, अर्थात् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त से यह नहीं पूछा है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है या डीएनए के एलेल्स के कुछ तारों का मृतका के साथ मिलान किया गया है। विचारण न्यायालय ने केवल यह प्रश्न रखा है कि डी. एन. ए. रिपोर्ट को प्र.पी.-44 के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं, उक्त प्रश्न धारा 313 (1) (बी) के अधीन विचार की गई अनिवार्य आवश्यकता को पूरा नहीं करता है क्योंकि उक्त खंड "शॉल" शब्द से शुरू होता है और इसलिए यह अनिवार्य है और इसका गैर-अनुपालन पूरे विचारण को दूषित कर देगा।

48. डॉ. ज्योतिर्मय प्रभावती (अ.सा.-7), जांच अधिकारी विनोद कुमार साहू (अ.सा.-12) और कामता प्रसाद शाडिल्य (अ.सा.-13) के उपरोक्त तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करते हुए, और साथ ही द.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्तों/अपीलार्थीओं के बयानों, डीएनए रिपोर्ट (प्र.पी.-44) और शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी.-26) पर विचार करते हुए और साथ ही राहुल, रवि कुमार, विनोद उर्फ छट्टू (पूर्वोक्त) और असरफ अली (पूर्वोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जिन परिस्थितियों का हवाला दिया गया है, वे मनगढ़ंत हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर भरोसा करना असुरक्षित है। इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि की दृष्टि में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीओं की दोषसिद्धि और दण्ड दर्ज करने में त्रुटि की है। इसलिए, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 25.06.2022 का दोषसिद्धि और दण्डादेश का आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और तदनुसार अपास्त किया जाता है।

49. वर्तमान अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थी-आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है और यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी-कमलेश नेताम



और सोनाराम नेताम जेल में हैं। उन्हें अविलंब रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता न हों।

50. द.प्र.सं. की धारा 437-क के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, अभियुक्त-अपीलार्थी कमलेश नेताम और सोनाराम नेताम को निर्देश दिया जाता है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रपत्र संख्या 45 के अनुसार 25,000/- रुपये की राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र दो विश्वसनीय प्रतिभूति के साथ सम्बंधित न्यायालय के समक्ष अविलम्ब प्रस्तुत करें, जिसकी अवधि छह महीने तक प्रभावी रहेगी, साथ ही यह वचनपत्र भी दें कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध या अनुमति प्रदान करने के लिए विशेष अनुमति याचिका दायर करने की स्थिति में, उक्त अपीलार्थी इसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

51. इस निर्णय की एक प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख को अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु तुरंत संबंधित विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाए।

सही/-
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/-
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated by--- Shri Shaantam Patil, Advocate